DRAFT FINAL REPORT

Rajasthan Spinning & Weaving Mills Limited

Allain Duhangan Hydroelectric Project Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh: *Addendum to Environmental and Social Impact Assessment Report*

September 2004

Reference I-5724

For and on behalf of Environmental Resources Management	
Approved by:	***Subir Gupta***
Signed:	
Position:	***Managing Director***
Date:	***10 September 2004***

This report has been prepared by Environmental Resources Management the trading name of Environmental Resources Management Limited, with all reasonable skill, care and diligence within the terms of the Contract with the client, incorporating our General Terms and Conditions of Business and taking account of the resources devoted to it by agreement with the client.

We disclaim any responsibility to the client and others in respect of any matters outside the scope of the above.

This report is confidential to the client and we accept no responsibility of whatsoever nature to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known. Any such party relies on the report at their own risk.

विषयसूची

1. पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का परिशिष्ट
1.1 परिचय
1.2 नक्शा योजना

2.0 पणधारियों की चिन्ताओं का सारांश
2.1 परियोजना औचित्य
2.2 सार्वजनिक प्रकटीकरण
2.3 भूमि अधिग्रहण
2.4 ई एस आई ए की सम्पूर्णता
2.4.1 पर्यावरण एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
2.4.2 पहली ई.आई.ए. रिपोर्टो की उपलब्धता
2.4.3 पारेक्षण लाइन का प्रभाव मूल्यांकन

2.5 प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव
2.5.1 पीने तथा सिंचाई का जल
2.5.2 वनों पर प्रभाव
2.5.3 वायू गुणवत्ता
2.5.4 श्रमिकों के लिए ईधन की लकड़ी
2.5.5 चरागाह को पंहुच तथा इस पर प्रभाव
2.5.6 मलबा निपटान
2.5.7 वन्य जीवन के प्राकृतिक अवास, वन्य जीवन एवं वनस्पति पर प्रभाव
2.5.8 मत्स्यकि पर प्रभाव
2.5.9 विश्व गर्माहट एवं ग्लेशियरों का सिकुड़ना

2.6 जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
2.6.1 महिलाओं की सुरक्षा
2.6.2 श्रमिकों का आगमन
2.6.4 ठोस अपशिष्ट निपटान
2.6.5 अपशिष्ट जल उपचार
2.6.6 ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभाव
2.6.7 ब्लास्टिगं एवं स्थल कम्पन
2.6.8 जलाशय सुरक्षा
2.6.9 प्राकृतिक जोखिमों का खतरा
2.6.3 श्रमिकों के जन स्वास्थ्य पर सम्भावित प्रभाव

2.7 जीविका एवं रोजगार
2.7.1 सेब पर प्रभाव
2.7.2 आलू के बीज की उपलब्धता
2.7.3 रोजगार के अवसर

2.7.4 सांस्कृतिक पहलूओं तथा पर्यटन पर प्रभाव
2.7.5 भूमि की प्रतिपूर्ति के लिए भूमि

2.8 परियोजना के लिए स्थानीय समर्थन
2.8.1 शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता
2.8.2 परियोजना की सड़कों पर सार्वजनिक पंहुच
2.8.3 शमशान भूमि को पंहुच
2.8.4 सार्वजनिक रोशनी तथा बिजली का प्रावधान
2.8.5 धार्मिक भावनाएं
2.8.6 जगतसुख अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता
2.8.7 जन समर्थन

2.9 कम्पनी की वचनबद्धता
2.9.1 पुनर्वास कार्यवाही योजना का कार्यान्वयन
2.9.2 पर्यावरणीय कार्यवाही योजना का कार्यान्वयन
2.9.3 अनुपाल तंत्र की विश्वसनीयता

3.0 सार्वजनिक विचार-विमर्श में उठाए गए मामलों का विवरण एवं कम्पनी द्वारा सहमत न्यूनीकरण उपाए

4.0 अतिरिक्त सूचना
4.1 जैवविविधता बचाव के लिए आंरम्भिक कार्यवाही योजना
4.2 सार्वजनिक विचार-विमर्श घटनाक्रम
4.3 परियोजना के लिए किए गए सभी पर्यावरणीय एवं सामाजिक अध्ययनों की सूची
4.4 राज्य तथा केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुमोदनों की सूची

5.0 संलग्नकों की सूची

1.0 पर्यावरणीय एवं समाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का परिशिष्ट

1.1 परिचय

यह रिपोर्ट, ई.आर.एम इंडिया प्रा० लि० (ई.आर.एम) के द्वारा प्रस्तावित 192 मेगावाट की ऐलाइन दुहगंन जल विद्युत परियोजना (परियोजना) के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में राजस्थान स्पिनिगं एण्ड विविगं मिल्स लिमिटेड(कम्पनी) के लिए दिसम्बर 2003 में तैयार कि गई पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव मूल्याकंन (ई एस आई ए) रिपोर्ट के सशोंधित प्रारूप के परिशिष्ट के रूप में तैयार की गई है। कम्पनी ने अंर्तराष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी) - विश्व बैंक समूह के विकास विभाग का निजी क्षेत्र-से परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए अनुरोध किया है।

अंर्तराष्ट्रीय वित्त निगम की परियोजनाओं की पर्यावरणीय एवं सामाजिक समीक्षा के लिए प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, ई आर एम ने गहन अध्ययन किए थे तथा ई एस आई ए रिपोर्ट का एक प्रारूप तैयार किया जिसे मई 2003 में सार्वजनिक रूप से प्रकट किया गया। ई एस आई ए के इस प्रारूप के सार्वजनिक प्रकटीकरण के बाद, ई एस आई का एक संशोधित प्रारूप तैयार किया गया तथा दिसम्बर 2003 में सार्वजनिक रूप से प्रकट किया गया। दिसम्बर 2003 के सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण के बाद, सभी पणधारियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करनें के लिए कम्पनी ने सार्वजनिक विचार-विमर्श तथा फोकस समूह की बैठकें आयोजित की। जन सुनवाई प्रक्रिया के दौरान, विभिन्न पणधारियों द्वारा उठाए गए मामलों कों इकट्ठा किया गया तथा संशोधित ई एस आई ए के इस परिशिष्ट में जोड़ा गया है।

ई एस आई ए का प्रारूप पर्यावरणीय आधार जानकारी के उच्चीकरण, हाल में किए गए पारिस्थितकीय एवं सामाजिक सर्वेक्षणों, विचार-विमर्श प्रभाव पहचानीकरण, मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक न्यूनीकरण और प्रबन्धन उपायों एवं मानिटिरिगं योजना पर आधारित था।

इस परिशिष्ट का उद्देश्य सार्वजनिक विचार-विमर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से उठाए गए सभी पर्यावरणीय एवं सामाजिक मामलों तथा उन पर कम्पनी द्वारा किए जाने वाले न्यूनीकरण उपायों को जोड़ा गया है, ताकि सभी संबधित व्यक्ति इसकी समीक्षा कर सकें। समीक्षा के पशचात् एक अंतिम ई एस आई ए दस्तावेज तैयार किया जाए चालू अध्ययनों के पूरा होने पर प्रकाशित किया जा सके। यह आशा की जाती है कि यह सभी अध्ययन वर्ष 2005 तक पूरे हो जाएंगे।

इन मुद्दों को कई शीर्षकों के अंर्तगत समूहित किया गया है तथा निम्नलिखित भागों के अनुसार सारंशित किया गया है:

- भाग - 2: इस भाग में पणधारियों की चितांओं का निम्नलिखित विषयों पर सांराश उपलब्ध है;
- परियोजना औचित्य;

- सार्वजनिक प्रकटीकरण एवं विचार विमर्श;
- भूमि अधिग्रहण;
- ई एस आई ए की पूर्णता;
- प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव;
- सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा;
- जीविका एवं रोजगार;
- परियोजना के लिए स्थानीय समर्थन; तथा
- कम्पनी का प्रभावों के न्यूनीकरण के प्रति वचनबद्वता;

- **भाग 3** : इस भाग में कम्पनी द्वारा सार्वजनिक विचार विमर्श प्रक्रियाओं में उठाए गए मामलों के विवरण तथा कम्पनी द्वारा सहमत न्यूनीकरण उपाय निहित है। इस भाग में सार्वजनिक विचार-विमर्श प्रक्रिया के दौरान पहचान किए गए मामलों के विवरण तथा कम्पनी द्वारा सहमत किए गए न्यूनीकरण उपाए लिए गए हैं। मामलों से सबंधित आवश्यक परिशिष्टों के विवरण भी इस भाग में उपलब्ध हैं
- **भाग 4** : इस भाग में जैव विविधता से बचाने के लिए आरम्भिक कार्यवाही योजना से सम्बंधित अतिरिक्त सूचना, परियोजना के लिए अद्यतन सार्वजनिक प्रकटीकरण घटनाएं, परियोजना के लिए किए गए पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव मूल्याकंन अध्ययन तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों से कम्पनी द्वारा परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए गए अनुमोदनों/स्वीकृतियों की सूची निहित है।
- **भाग 5** : भाग 3 से सबंधित परिशिष्ट उपलब्ध हैं।

1.2 योजना का नक्शा

परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग, परियोजना घटकों के स्थान, मलबा निपटान स्थल आदि , योजना का विवरण **चित्र 1.1** में दर्शाया गया है।

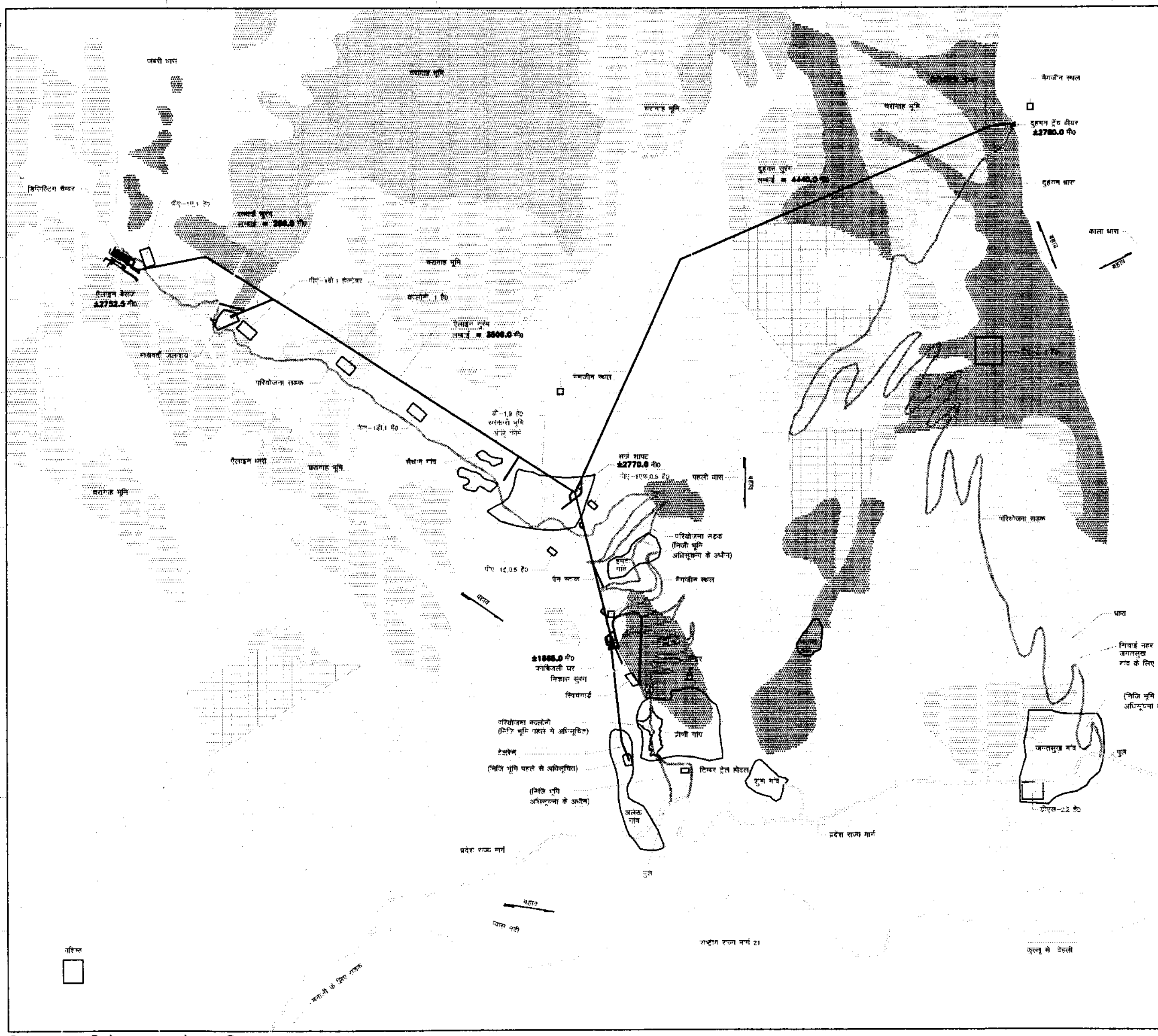

चित्र 1.1 –परियोजना धटको का विन्यास ।

नोट :-

1. सारे नाप मीटरों में है ।
2. 1 बीघा = 809.06 वर्ग मी0
3. 1 हैक्टेयर = 10.000 वर्ग मी0
4. 1 एकड़ = 0.40 हैक्टेयर

मुख्य विशेषताएं

विवरण	मी0 में
ऐलाइन सुरंग की लम्बाई	3506.0
दुहंगन सुरंग की लम्बाई	4440.0
पैन स्टाक की लम्बाई	1697.0
टेल रेस सुरंग की लम्बाई	950.0
प्रवेश सुरंग	812.0
ऐलाइन बैराज की ऊँचाई	14.0
मध्यवर्ती जलाशय की ऊँचाई	14.5

दूरी

स्थान से	स्थान तक	दूरी कि0 मी0 में
देहली	मनाली	574
मनाली	प्रीनी	3
प्रीनी	हमटा	10
हमटा	ऐलाइन बैराज	5
पावर हाउस	ऐलाइन बैराज	15
प्रीनी	जगतसुख	3
दुहंगन वीयर	काला संगम	2
दुहंगन ब्यास संगम	जगतसुख	1.75
जगतसुख	दुहंगन वीयर	14

पिछले 24 वर्षों(1971-1995) के दौरान दुहंगन में न्यूनतम पानी का बहाव

क्रमांक	महीना	पिछले 24 वर्षों के दौरान दुहंगन में न्यूनतम पानी का बहाव (लिटर प्रति सेकण्ड)				खेती के लिए प्रतिदिन गांव की जरूरत (लिटर प्रति सेकण्ड)	अतिरिक्त पानी उपलब्ध (लिटर प्रति सेकण्ड)
		दुहंगन में वीयर कार्यस्थल पर पानी का बहाव	दुहंगन से छोड़ रहे हैं	नाला नाला एवं अन्य छोटे नाले मिलाकर पानी का बहाव	जगतसुख पुल के पास कुल पानी उपलब्ध		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)+(4)=(5)	(6)	(5)-(6)=(7)
1	जनवरी	968	150	372	522	130	392
2	फरवरी	918	150	352	502	130	372
3	मार्च	1026	150	394	544	130	414
4	अप्रैल	1279	150	491	641	130	511
5	मई	3667	150	1278	1428	130	1298
6	जून	3982	150	1520	1670	130	1540
7	जुलाई	5109	150	1960	2110	130	1980
8	अगस्त	4583	150	1762	1912	130	1782
9	सितम्बर	3043	150	1167	1317	130	1187
10	अक्तूबर	1951	150	749	899	130	769
11	नवम्बर	1185	150	455	605	130	475
12	दिसम्बर	1041	150	399	549	130	419

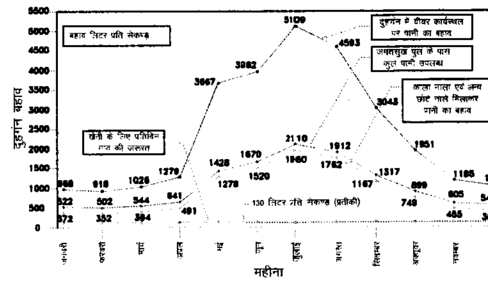

मलबा निष्कासन स्थल

5. पीए-1ए = 1 है0
6. पीए-1बी = 1 है0
7. पीए-1सी = 1 है0
8. पीए-1ई = 0.5 है0
9. पीए-1एफ = 0.5 है0
10. पीए-2 = 1 है0
11. डीएस-1 = 9 है0
12. डीएस-2 = 2 है0

निर्देशिका -

- खुला वन
- घना वन
- खेती योग्य भूमि
- बंजर भूमि
- चरागाह भूमि
- झाड़ी भूमि
- प्रतिपूरक वनरोपण
- परियोजना एवं राज्य सड़क
- नदी/नाला
- विघ्नीकृत क्षेत्र

भूमि अधिग्रहण (वर्ग मीटर)

प्रकार	अधिसूचित	अधिसूचना के अधीन	कुल
सरकारी भूमि	102600	4100	106700
वन भूमि	376290	0	376290
निजी भूमि			
क) प्रीणी	68300	21800	90100
ख) जगतसुख	0	4100	4100
ग) एलऊ	9900	0	9900
उप-योग	78200	25900	104100
कुल-योग	557090	29900	587090

ए0 डी0 हाईड्रो पावर लिमिटेड

इंडो कनेडियन कन्सल्टेंसी सर्विस लिमिटेड

परियोजना: एलाईन दुहंगन जल विद्युत परियोजना (192 मेगावाट)

विषय: भूमि उपयोग विन्यास

परियोजना नं0 P-104

चित्र संख्या 104-001

2.0 पणधारियों की चिन्ताओं का सारांश

2.1 परियोजना औचित्य

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डाटा के अनुसार (वेबसाइट-www.cea.nic.in) अधिकत्तर भारतीय राज्य उर्जा की मांग और आपूर्ति के अन्तर से ग्रसित हैं। उदाहरण के लिए, चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध उत्पादन डाटा दर्शाता है कि उत्तरी क्षेत्र में अप्रैल-जून 2004 के दौरान 1500 मेगावाट की नाथपा जाखरी परियोजना के दिसम्बर 2003 में चालू हो जाने के बाद भी समग्र रूप से 2,323 मिलियन यूनिट (मेगावाट घंटा) या 5.4 प्रतिशत की विद्युत की कमी थी।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सोलहवीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की मांग वर्तमान 27,031 मेगावाट से 2006-2007 में लगभग 35,540 मेगावाट तथा 2011-2012 में लगभग 49,674 मेगावाट बढ़ने का अनुमान/भविष्यवाणी की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2006-2007 में 35,540 मेगावाट की उच्चतम मांग की प्रत्याशा की है तथा देश में 2007 को समाप्त होने वाली 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12,320 मेगावाट और जोड़ने की योजना है। तथापि, 8वीं तथा 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश के पिछले उत्पादन क्षमता उपलब्धि दरें क्रमशः 54 प्रतिशत तथा 47 प्रतिशत थी तथा केन्द्रीय एवं राज्य के स्वामित्व में तापीय एवं जल विद्युत संयत्रों की वर्तमान संयत्र भार घटकों के आधार पर, प्रभावी उत्पादन क्षमता 2007 में प्रत्याशित उच्चतम मांग के पूरा करने की सम्भावना नहीं है।

यद्यपि हि० प्र० के पास केवल लगभग 670 मेगावाट की मांग है और इस राज्य में मांग बढ़ने की उम्मीद भी कम है, तथा यह एक विद्युत अधिशेष राज्य है, यह परियोजना उत्तरी क्षेत्र में बिजली की मांग की बढ़ोत्तरी को पूरा करने में सहायता करेगी।

दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों में 112,500 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता में कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता का क्रमशः लगभग 38 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत है। 1980 में स्थापित क्षमता के लगभग 40 प्रतिशत से जल विद्युत का अंश घटकर वर्तमान में 26 प्रतिशत हो गया है। यह परियोजना देश में जल विद्युत-तापीय मिश्रण को सुधारेगी।

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को मुफ्त विद्युत का सहयोग करेगी जिसे हि० प्र० अपने पड़ोसी राज्यों को बेच सकता है, इसलिए यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से सहयोग करती है।

ऐलाइन दुहंगन जल-विद्युत परियोजना, 4 घंटे की उच्चतम क्षमता के साथ निजी क्षेत्र में एक व्यापारी विद्युत संयत्र की एक रन-ऑफ-द रिवर परियोजना है जो उत्तरी क्षेत्र की विद्युत प्रणाली में कमियों को दूर करनें में सहायता करेगी। परियोजना अपनी

बिजली बेचने के लिए किसी राज्य बिजली बोर्ड या ग्राहकों पर दबाव नही डाल रही है।

कुछ पणधारियों की यह चिन्ता थी कि प्रारूप ई एस आई रिपोर्टों में परियोजना के विकल्पों पर विचार नहीं किया गया है। यद्यपि, इस विशिष्ट रन ऑफ द रिवर स्कीम की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थान हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। इस परियोजना की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा तकनीकी-आर्थिक तथा पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्यों में जांच की गई है तथा इसे वाणिज्यक विकास के लिए उपर्युक्त पाया गया है।

प्रस्तावित परियोजना से, जैसा कि प्रारूप ई एस आई रिपोर्टों में टिप्पणी की गई है, विपरीत पर्यावरणीय एंव सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं जिन पर विशिष्ट न्यूनीकरण उपायों की आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित भागों में आज तक चिन्हित किए गए सम्भाव्य विपरीत पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों का समाधान करने के लिए कम्पनी द्वारा वचनबद्ध किए गए विशिष्ट पर्यावरणीय एवं सामाजिक न्यूनीकरण उपायों को स्पष्ट करते हैं।

2.2 सार्वजनिक प्रकटीकरण एवं विचार-विमर्श

जैसा कि कम्पनी द्वारा बताया गया है परियोजना के लिए सार्वजनिक विचार-विमर्श प्रक्रिया 1993 से चल रही है तथा आज तक जारी है।

2002 के अंत में, कम्पनी ने अंर्तराष्ट्रीय वित्त निगम (आई एफ सी) से परियोजना के लिए वित्त पोषण उपलब्ध करवाने में उनकी रूचि को जानने का अनुरोध किया। परियोजना के लिए आई एफ सी के विचार की शर्त के रूप में, कम्पनी को आगे सार्वजनिक विचार-विमर्श तथा प्रकटीकरण उपायों को करना अपेक्षित था, साथ ही रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसस् (आर आई टी ई एस) द्वारा पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याकंन(ई आई ए) को अद्यतन करना तथा परियोजना-प्रभावित लोग (पी ए पी) के साथ एक सार्वजनिक बैठक करना सम्मिलित था।

मार्च 2003 से परियोजना स्थल पर कई सार्वजनिक विचार विमर्श तथा बैठकें आयोजित की गई। सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रक्रिया का पूरा घटनाक्रम **भाग 4.2** में सम्मिलित है। पहली सार्वजनिक बैठक मई 2003 में गांव प्रीनि में आयोजित की गई थी। यह एक बड़ी संख्या में लोगों द्वारा भाग ली जाने वाली एक अच्छी बैठक थी जिसमें सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट, वनों के सहायक संरक्षक, रेंज अधिकारी कुल्लू वृत्त तथा पंचायत विभागों एवं गांव प्रीनि एंव जगतसुख के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ साथ आई एफ सी के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक में उठाए गए मामलों में निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए दरें, मलबा निपटान के बारे में चिन्ताएं, क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश, स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार में वरीयता, जल की उपलब्धता, पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा पेड़ों को गिराना आदि मुद्दे शामिल थे।

अगस्त 2003 में, प्रारूप ई एस आई सार्वजनिक रूप से प्रकट किया गया। एक संशोधित ई एस आई, जिसमें अतिरिक्त इष्टतम अध्ययनों पर आधारित जलाशय के स्थान में परिवर्तन नियत किया गया था, गैर तकनीकी कार्यपालक सारांश तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबन्धन तथा मॉनीटरिंग योजना (ई एस एम एम पी) के हिन्दी अनुवाद के साथ दिसम्बर 2003 में दी गई थी। पहले प्रारूप के साथ इन दस्तावेजो को परियोजना स्थल पर उपलब्ध कराया गया तथा आई एफ सी की वेबसाइट पर भी लगाया गया। कम्पनी ने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ उनके उत्तरों की सूची को परियोजना प्रभावित लोगों में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 2 जनवरी, 2004 को भी परिचालित किया।

दूसरी सार्वजनिक बैठक 6 जनवरी, 2004 को जगत सुख गांव में आई एफ सी, ई आर एम, अन्य स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, ग्रामीणों तथा कम्पनी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान, मुख्य मामला शेष ई एस आई ए दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद तथा आगामी बैठक को स्वतंत्र पैनल द्वारा आयोजित करना था ।

इसके बाद, कम्पनी द्वारा संशोधित ई एस आई ए रिपोर्ट के शेष दो खण्डो को हिन्दी में अनुदित कर सभी इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया तथा आई एफ सी की वेबसाइट पर 9 मार्च 2004 को उपलब्ध कराया गया ।

बाद में, परियोजना के बारे में बताने के लिए 16-18 मार्च, 2004 को प्रीनि तथा जगतसुख गावों में फोकस समूह बैठकें आयोजित की गई। इन फोकस समूह बैठकों का उद्देश्य ग्रामीणों को समुदाय को प्रभावित करने वाली चिन्ताओं और मुद्दों को तथा उनके के लिए प्रस्तावित न्यूनीकरण योजनाओं के बारे में सूचित करना था। प्रीनि की बैठक में लगभग 35 लोगों ने, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, ने भाग लिया। जगतसुख की बैठक में महिलाओं सहित एक सौ से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया।

30 अप्रैल 2004 को प्रीनि गांव में तथा 1 मई, 2004 को जगतसुख गांव में क्रमशः फोकस समूह बैठकें पुनः आयोजित की गई। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक ने इन दोनों बैठकों का आयोजन किया। कम्पनी तथा ई आर एम के प्रतिनिधियों ने एलेऊ गांव में 2 मई 2004 को परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों को परियोजना के बारे में सूचना देने तथा उनकी चिन्ताओं के बारे में चर्चा करने के लिए एक फोकस समूह बैठक आयोजित की।

प्रीनि तथा जगतसुख गांव में क्रमशः 20 मई तथा 21 मई 2004 को ग्रामीणों के अनुरोध पर तीसरी तथा चौथी सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। यह बैठकें एक स्वतंत्र पैनल के 3 जाने-माने पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा आयोजित करवाई गई। 20 मई 2004 को आयोजित बैठक में कम्पनी तथा ई आर एम के प्रतिनिधियों ने प्रीनि की गांव पंचायत के साथ चर्चाएं की। प्रीनि से लगभग 200 ग्रामीणों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, मीडिया तथा आई एफ सी के

अधिकारियों ने भाग लिया। पणधारियों ने पहले समझौता की गई भूमि दरों को बढ़ाने की मांग की।

जगतसुख गांव में 21 मई 2004 को चर्चा आयोजित की गई, जब पणधारियों के एक समूह ने बैठक में बाधा डाली।

बाधा के कारण, कम्पनी ने छोटे तथा कम बोल पाने वाले समूहों को अपनी चिंताओं को आवाज़ देने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया तथा फोकस समूह की बैठकों के आयोजन को आवश्यक समझा। यह बैठकें प्रीनि तथा शूरू में 7 जुलाई 2004 तथा जगतसुख में 8 जुलाई 2004 को आयोजित की गई। जगतसुख में 150 से अधिक गांववासियों ने चर्चाओं में भाग लिया तथा विभिन्न मुद्दों पर बढ़ चढ़कर चर्चा की।

इन सब सार्वजनिक प्रकटीकरण एवं विचार-विमर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, विभिन्न पणधारियों के मामले एवं चिन्ताओं की पहचान की गई तथा इन पर सार्वजनिक तथा फोकस समूह बैठकों में चर्चा की गई। मई 2004 में सार्वजनिक बैठकों में स्वतंत्र पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के अतिरिक्त, कम्पनी जैसा कि इस परिशिष्ट में रेखांकित किया गया है, विभिन्न पणधारियों के मामलों एवं चिन्ताओं को विशिष्ट न्यूनीकरण उपायों के माध्यम से पूरा करेगी।

2.3 भूमि अधिग्रहण

भारत सरकार ने ऐलाइन दुहंगन जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आरम्भ में 77.272 हैक्टयर (है0) के अपवर्तन का अनुमोदन किया था। कम्पनी ने परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाले भूमि क्षेत्र की आवश्यकता को तालिका 2.1 के अनुसार, 58.77 है0 तक कम कर लिया है:

तालिका 2.1 भूमि अधिग्रहण का विवरण

भूमि का प्रकार	प्रीनि	जगतसुख	एलेऊ	हमटा	कुल	प्रतिशत
निजी, है0	9.01	0.41	0.99	0	10.41	18
वन, है0	-	-	-	-	37.69	64
सरकारी, है0	-	-	-	-	10.67	18
		जोड़			**58.77**	**100**

प्रीनि गांव में निजी भूमि 6.830 है0 (84.41 बीघा) के अधिग्रहण के विवरण निम्न प्रकार से हैं :

- उपायुक्त कुल्लू की अध्यक्षता के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा गठित समझौता समिति ने 28 अगस्त 2003 को भूस्वामियों के साथ हुए समझौते में भूमि की कीमत को अंतिम रूप दिया।
- इसके बाद, 20 मई 2004 को आयोजित जन सुनवाई के दौरान, ग्रामीणों ने समझौता किए गए तथा अंतिम की गई दरों में बढ़ोत्तरी की मांग की। बाद में, कम्पनी ने मांग को स्वीकार किया तथा रू 17,50,000 प्रति बीघा